

प्ररूप-2

ग्राम :
ई-मेल :

फोन :
फैक्स :

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय

संख्यांक: 348

तारीख : 27-4-13

प्रबन्धक,

ब्रेनजोन जूनियर हाई स्कूल,
लॉक, मुजफ्फरनगर।

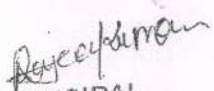
विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 10.12.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं, निदेशालय स्तर पर गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 23.07.2012 में लिए गये निर्णय "कि एन0बी0सी0 का वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मान्यता आदेश निर्गत हो" के अनुक्रम में प्रबन्धक के पत्र दिनांक 17.04.2013 के साथ संलग्न अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, शामली के पत्रांक 965 दिनांक 09.04.13 द्वारा निर्गत एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं श्री रणजीत सिंह पाल, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्रांक / 6964 / 2012-13 दिनांक 03.12.12 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर ब्रेनजोन जूनियर हाई स्कूल लॉक, मुजफ्फरनगर को तारीख 31.07.2012 से तारीख 30.07.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-हीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होजाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।


PRINCIPAL
Brain Zone School-Lank
Meerut-Karnal Road
Distt. Shamli (U.P.)


Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut, Road
Shamli (U.P.)

PRINCIPAL
Brain Zone School-Lank
Shamli Meerut Road


Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut, Road
Shamli (U.P.)

6. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जाएगा।

(ii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(xiii) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(xiv) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(xv) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(xvi) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

(xvii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

20460 वर्गमीटर

कुल निर्मित क्षेत्रफल

6200 वर्गफीट

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

24,840 वर्गफीट

कक्षाओं की संख्या

10

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष

03

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

हैं।

PRINCIPAL

Brain Zone School-Lank
Meerut-Karnal Road
Distt. Shamli (U.P.)

PRINCIPAL

Brain Zone School-Lank
Shamli Meerut Road
Distt. Shamli (U.P.)

Manager

Brain Zone School-Lank
Shamli-Meerut Road
Shamli (U.P.)

Manager

Brain Zone School-Lank
Shamli-Meerut Road
Shamli (U.P.)

पेयजल सुविधा

हैं।

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

हैं।

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता

हैं।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा- स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E-03/2012 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

Rajesh Kumar
PRINCIPAL
Brain Zone School-Lank
Shamli Meerut Road
Distt. Shamli (U.P.)

Rajesh Kumar
PRINCIPAL
Brain Zone School-Lank
Meerut-Karnal Road
Distt. Shamli (U.P.)

भवदीय
Rajesh Kumar
(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

Rajesh Kumar
Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut, Road
Shamli (U.P.)

Rajesh Kumar
Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut, Road
Shamli (U.P.)

संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: ०८ मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शारानादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में सगव-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्षों में अपने अधिक शर्तों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे अन्यथा संक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

GO RP

Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut Road
Shamli (U.P.)

Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut Road
Shamli (U.P.)

PRINCIPAL
Brain Zone School-Lank
Shamli Meerut Road
Distt. Shamli (U.P.)

Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut Road
Shamli (U.P.)

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(गुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बै०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

४४२/

आज्ञा से,

४४२/४१५/१३
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

GO RP

Rajesh Kumar
PRINCIPAL

Brain Zone School-Lank
Shamli Meerut Road
Distt. Shamli (U.P.)

PRINCIPAL
Brain Zone School-Lank
Meerut-Kamal Road
Distt. Shamli (U.P.)

Manish
Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut, Road
Shamli (U.P.)

Manish
Manager
Brain Zone School, Lank
Shamli-Meerut, Road
Shamli (U.P.)